संख्या-178/15-7-08-(2991)/2007

प्रेषक,

अरुण कुमार मिश्र
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)/सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 29 फरवरी 2008

विषय:- सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सा0(1)(शिविर)/एन0ओ0सी0/18241/2007-08 दिनांक 23.1.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश स्थित इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली स्थित परीक्षा बोर्डों से सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-2762/16-13-91-4(46)/91, दिनांक 30.11.91 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानकों के अनुसार दिया जाता है। उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु वर्तमान में रुपये 1000/- आवेदन-शुल्क के रूप में जमा कराये जाने की व्यवस्था प्रभावी है।

2- सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा उपर्युक्त आवेदन-शुल्क की धनराशि रु0 1000/- को बढ़ाकर रुपये 10,000/- करने का निर्णय लिया गया है। आवेदन-शुल्क की उक्त धनराशि राजकीय कोषागार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राप्तियों के सुसंगत लेखा शीर्षक में पूर्व की भाँति एकमुश्त जमा की जायेगी।

3- इसके अतिरिक्त आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु शासन को प्रस्ताव/संस्तुति प्रेषित करते समय इस तथ्य का ध्यान रखा जाय कि संबंधित शिक्षण संस्था के पास विद्यालय संचालन हेतु नगरीय क्षेत्रों में कम से कम 1000वर्गमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 4000वर्गमीटर भूमि एकजाई रूप से संस्था/विद्यालय के नाम उपलब्ध हो।

4- कृपया उक्त शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0/-
(अरुण कुमार मिश्र)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0:सा0(1)(शिविर)/एन0ओ0सी0/20599-717 /2007-08 दिनांक 12/3/08

~~प्रतिलिपि समस्त मण्डलीय~~ संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

2- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(रुबी सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (शिविर)
कृते शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0

शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक/सा0(1) शि0/एन0ओ0सी0/19016-17/08-09 दिनांक 25-02-2009 द्वारा सूचित कमियों की निराकरण आख्या :

==

(1) विद्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रबन्धक का शपथ पत्र संलग्न है।

(2) विद्यालय द्वारा दिनांक 02-02-2009 से 08-03-2009 तक नई पुस्तकें क्रय की है। इस प्रकार मानकानुरूप 1500 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

(3) माधवपुरम में 1768.88 वर्गमीटर भूमि सोसायटी के नाम आवंटित है। इस पर भवन बनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त 4430 वर्गमीटर 30 वर्ष के लिए किराये पर ली गई है। किराया नामा संलग्न है।

(4) वेतन का भुगतान फरवरी, 2009 का बैंक के माध्यम से किया गया है। प्रति संलग्न है।

(5) विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

(वी0के0 सक्सेना)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल मेरठ।